हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मई, 2007

संख्या 10/6/2007-5 श्रम.—राज्यपाल हरियाणा सहर्ष कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण का एक निदेशालय, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग सहित प्रशासकीय सचिव के रूप में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सृजित करते हैं :

यह और कि राज्यपाल हरियाणा सहर्ष आदेश देते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय, हरियाणा की स्थापना निम्नानुसार की जायेगी :—

1. स्टाफ/अमले की स्वीकृत संख्या

ई०एस०आई० स्कीम के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिला स्तर पर अमले की कुल स्वीकृत संख्या 1863 है जो क्रमश: अनुबन्ध "क" व "ख" पर दर्शाई गई है। अमले पर प्रशासकीय नियन्त्रण स्वास्थ्य विभाग से श्रम विभाग हरियाणा को हस्तान्तरित किया जाता है। जो भी अमला चाहे वो मुख्यालय पर या क्षेत्र में है, कर्मचारी राज्य बीमा विंग में कार्यरत है या कर्मचारी राज्य बीमा के कार्य हेतु है, दिनांक 1 मई, 2007 से उसे स्वास्थ्य विभाग से श्रम विभाग के अधीन नये सृजित कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा। अमला/स्टाफ जिसे नये सृजित कर्मचारी राज्य बीमा स्वारथ्य संरक्षण निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर समझा गया है, (यह कि स्वास्थ्य विभाग के अस्तित्व में रही कर्मचारी राज्य बीमा विंग में कार्यरत) को यदि कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण के निदेशालय में कार्यरत ऐसे किसी स्टाफ की स्वास्थ्य विभाग द्वारा मांग की जाती है, उसे केवल कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण के निदेशालय के विशेष आदेशों अनुसार ही भारमुक्त किया जायेगा।

2. कर्मचारी राज्य बीमा विंग का हस्तान्तरण

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा विंग का, बजटीय प्रावधानों सहित कर्मचारियों को बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय को हस्तान्तरण किया जाता है। तद्नुसार स्कीम के लिये बजट के प्रावधान मुख्य लेखा शीर्ष 2230 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत आर०ई० (संशोधित अनुमान) 2007-2008 में किये जायेंगे तब तक बजट के आबंटन, स्वीकृति तथा अनुमोदन से सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था नियमित रहेगी।

निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा बजट प्रावधानों सहित गैर योजना और योजना की स्कीमों के सम्बन्ध में 'नियन्त्रण अधिकारी' होगा जो क्रमश: अनुबन्ध 'एक्स' और 'वाई' पर प्रदर्शित है। वह इस निदेशालय के सम्बन्ध में पंजाब बजट मैनुअल के नियम 2.9 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत आहरण एवं संवितरण अधिकारी ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का कार्य करते रहेंगे। श्रम आयुक्त, हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा के कर्तव्यों, कार्यों एव जिम्मेवारियों का निर्वहन करते रहेंगे जब तक कि कोई नियमित पदाधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो जाता। अतिरिक्त श्रम आयुक्त नये सृजित कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का कार्य करेगा।

3. अमला विभाजन

(क) स्कीम अनुसार स्टाफ का विभाजन

(i) पहले से स्वीकृत 1863 पदों के अतिरिक्त, 16400-20900 के वेतनमान में एक पद निदेशक का तथा मुख्यालय एवं क्षेत्र में 14300-18300 के वेतनमान में चार पद सिविल सर्जन के उनके सहायक अमले सहित सृजित किये हैं जो क्रमश: अनुबन्ध 'ग' व 'घ' पर दर्शाये गये हैं। इस प्रकार 89 नये पदों के सृजन से कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, के निदेशालय में पदों की संख्

1952 हो जायेगी। अतिरिक्त स्टाफ के सृजन के फलस्वरूप 177.80 लाख रुपये की वित्तीय विवेक्षा वर्ष 2007-2008 हेतु अनुमोदित बजट की स्कीम से ही की जायेगी। यदि कोई कमी होगी तो संशोधित बजट में मांग कर ली जायेगी।

(ii) पदों को पुनः पद नामित करने सम्बन्धी यदि कोई मामला है, संवर्गों के विलय सम्बन्धी मापदण्ड को प्रशासकीय विभाग द्वारा समय रहते अन्तिम रूप दिया जायगा। प्रशासकीय विभाग कर्मचारी राज्य बीमा व्यवस्था के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को निगमित करने हेतु एक योजना पर कार्य करेगा, अर्थात् विभाग को हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निगम में बदलना।

(ख) स्टाफ के हस्तान्तरण का मापदण्ड

(i) मैडिकल/पैरा मैडिकल पदाधिकारी और लिपिकीय अमलों का स्थाई विलय प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा। स्थाई पदधारियों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली कमी को हरियाणा लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/विभागीय कमेटी के गठन से या संविदा आधार पर अथवा जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से पूरा किया जायेगा।

(ii) एक निदेशक, दो उप-निदेशक, दो चिकित्सा निरीक्षक, चार सिविल सर्जन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 8 पद, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक के पद भी शामिल हैं और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान में वरिष्ठ विशेषज्ञों के 19 पदों को कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को लेकर भरे जायेंगे। यदि स्वास्थ्य विभाग प्रतिनियुक्ति पर अपेक्षित अमला प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तो ये पद या तो कर्मचारी चयन आयोग/हरियाणा लोक सेवा आयोग/विभागीय कमेटी द्वारा सीधी भर्ती से या अन्य विभागों सरकारों से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।

(iii) स्टाफ के अन्तिम आंबटन के पश्चात् चाहे वो स्थाई विलय या स्वास्थ्य विभाग के पदधारियों के स्थानान्तरण द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा आबंटित स्टाफ से एक पृथक गैर-अन्तरणीय संवर्ग बनाया जायेगा।

4. सेवा नियम

सेवा नियमों, स्थाई आदेशों और स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा में सेवा-शर्तों अनुसार लागू फाईलों पर हुये आदेशों को कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा के निदेशालय के अमले पर भी लागू होंगे, जब तक कि नया निकाय अपने सेवा नियम नहीं बना लेता।

5. परिसम्पतियां/स्टोर/स्टाक/लेखन सामग्री आदि

सभी प्रकार के कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों/इकाईयों/सत्तायों/निकायों जैसे कि हस्पताल/डिस्पैन्सरियां एवं अन्य भवन, सभी प्रकार के स्टोर/स्टाक/लेखन सामग्रियां और सभी प्रकार के वाहन जो वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा विंग के द्वारा अधिकृत किये गये या प्रयोग में लाये जा रहे हैं वो कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सरक्षण, हरियाणा निदेशालय को हस्तान्तरित होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किराये पर लिये गये या बनाये गये सभी भवनों या फर्नीचर और जड़दा, मशीनरी और उपकरण एवं मुख्यालय सहित अन्य ढांचे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं डिस्पैंसरियों की चल और अचल सम्पति स्वास्थ्य विभाग से निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण को हस्तान्तरित की जायेगी।

निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कर्मचारी राज्य बीमा स्कीमों से सम्बन्धित समस्त अधिनियमों को लागू करने हेतु समन्वय रखेगा।

यह वित्त विभाग के अशासकीय पत्र क्रमांक 1/24/2007-2 एफ०डी०III/983, दिनांक 9 मई, 2007 द्वारा प्रदान की गई सहमति से जारी की जाती है।

माणिक सोनवणे,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

अनुबंध–क

मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत अमले जो स्वास्थ्य विभाग से नए सृजित विभाग में स्थानान्तण किया गया है का विवरण :—

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या
1.	उप निदेशक	1
2.	चिकित्सा निरीक्षक	1
3.	लेखा अधिकारी	1
4.	अधीक्षक	1
5.	उप अधीक्षक	4
6.	अनुभाग अधिकारी	2
7.	सहायक	16
8.	कनिष्ठ आडिटर	2
9.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
10.	आशुलिपिक	1
11.	लिपिक	17
12.	रिस्टोरर	2
13.	दफ्तरी	1
14.	सेवादार	6
15.	चौकीदार	1
16.	सफाई कर्मचारी	1
17.	चालक	1
	कुल	59

अनुबंध–ख

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत अमले जो स्वास्थ्य विभाग से नए सृजित विभाग में स्थानान्तरण किया गया है का विवरण :—

क्रम संख्या	पद नाम	पद संख्या	स्थान
1.	चिकित्सा अधीक्षक	5	1 ई.एस.आई.हस्पताल एन.एच.-3, फरीदाबाद
			2 ई.एस.आई.हस्पताल सैक्टर-8, फरीदाबाद
			3 ई.एस.आई.हस्पताल, पानीपत
			4 ई.एस.आई.हस्पताल, जगाधरी
			5 ई.एस.आई.हस्पताल, भिवानी
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	1 ई.एस.आई.डिस्पैंसरी, सोनीपत
			2 ई.एस.आई.डिस्पैंसरी, हिसार.
			3 ई.एस.आई.डिस्पैंसरी, भिवानी
3.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	18	1 ई.एस.आई.हस्पताल एन.एच.-3, फरीदाबाद–9 पद
			2 ई.एस.आई.हस्पताल सैक्टर-8, फरीदाबाद–9 पद
4.	वरिष्ठ दन्तक चिकित्सक	1	1 ई.एस.आई.हस्पताल सैक्टर-8, फरीदाबाद
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	32	1 ई.एस.आई.हस्पताल एन.एच.-3, फरीदाबाद–6 पद
			2 ई.एस.आई.हस्पताल सैक्टर-8, फरीदाबाद–5 पद
			3 ई.एस.आई.हस्पताल, पानीपत–4 पद
			4 ई.एस.आई.हस्पताल, जगाधरी–6 पद
			5 ई.एस.आई.हस्पताल, भिवानी–11 पद
6.	कनिष्ठ दन्तक चिकित्सक	2	1 ई.एस.आई.हस्पताल एन.एच.-3, फरीदाबाद–1 पद
			2 ई.एस.आई.हस्पताल, भिवानी–1 पद
7.	चिकित्सा अधिकारी सामान्य	220	
8	पैरामैडिकल चिकित्सा अधिकारी	1	1 ई.एस.आई.हस्पताल एन.एच.-3, फरीदाबाद

पैरा मैडिकल अमले के पद

क्रम संख्या	पद नाम	पद संख्या
1.	औषधाकारक	243
2.	औषधाकारक, आयुर्वेदा	1
3.	मैटरन	2
4.	सहायक मैटरन	2
5.	नर्सिंग सिस्टर	22
6.	स्टाफ नर्स	129
7.	एल.एच.वी.	59
8.	ए.एन.एम.	79
9.	प्रयोगशाला टैकनिशियन	61
10.	रेडियोग्राफर	12
11.	ई.सी.जी. टैकनिशियन	3
12.	ओ.टी. टैकनिशियन	2
13.	ओ.टी. अटैन्डैन्ट	6
14.	डाईटिशियन	2
15.	फिजियोथरापिस्ट	2
16.	ओकूपेशनल थरापिस्ट	1
17.	डैन्टल मकैनिक	2
18.	डेन्टल हाईजिनिस्ट	1
19.	प्लास्टर टैकनिशियन	2
20.	बायोकैमिस्ट	1
21.	कारपेन्टर	1
22.	दर्जी	2
23.	ईलैक्ट्रिशियन	3
24.	टीनस्मीथ-कम-प्लम्बर	3
25.	सामाजिक कार्यकर्ता	1
26.	चालक	21
	कुल	663

लेखा तथा कार्यालय अमला

क्रम संख्या	पद नाम	पद संख्या
1.	अधीक्षक	2
2.	मुख्य लिपिक	4
3.	सहायक	56
4.	लेखाकार	1
5.	लिपिक	112
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक	2
7.	आशुलिपिक	3
8.	कैशियर	2
	कुल	**182**

चतुर्थ श्रेणी के पद (सभी कैटेगरी)

क्रम संख्या	पद नाम	पद संख्या
1.	कुक	15
2.	कुक मेट	10
3.	धोबी	11
4.	माली	9
5.	लिनन कीपर	1
6.	जमादार	1
7.	ओप्रेशन थियेटर सहायक	4
8.	बियरर	2

अनुबंध–ग

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय के मुख्यालय में स्वीकृत किए गए अतिरिक्त पदों का विवरण

मुख्य शीर्ष ; 2230-श्रम एवं रोजगार (प्लान)

एक पद निदेशक का 16400-20900 के वेतन मान में	295200
एक पद उप निदेशक का (प्लानिंग एवं इम्पलीमैन्टेशन) 14300-18300 के वेतन मान में	257400
एक पद चिकित्सा अधिकारी का 8000-13500 के वेतन मान में	144000
एक पद वरिष्ठ लेखा अधिकारी का 8000-13500 के वेतन मान में	144000
एक पद प्रशासनिक अधिकारी का 8000-13500 के वेतन मान में	117000
दो पद अधीक्षक के 6500-10500 के वेतन मान में	234000
एक पद वरिष्ठ आशुलेखक का 5000-7850 के वेतन मान में	90000
आठ पद सहायक के 5000-7850 के वेतन मान में	720000
दो पद कनिष्ठ आशुलेखक के 4000-6000 के वेतन मान में	144000
एक पद चालक का 4000-6000 के वेतन मान में	72000
दस पद लिपिक के 3050-4590 के वेतन मान में	549000
चार पद सेवादार के 2550-3200 के वेतन मान में	183600
कुल 33 पद	
कुल :	**2950200**
मकान किराया भत्ता	262100
सी.सी.ए.	67200
एन.पी.ए.	79200
ई.एस.आई. भत्ता	7200
कुल :	**33,65,900**
महंगाई भत्ता 35% की दर से	1060300
फिक्स चिकित्सा भत्ता	99000
यात्रा भत्ता	40000
कार्यालय खर्चे	
1. आवृत्तक	200000
2. अनावृत्तक	925000
पी.ओ.एल.	60000
मोटर वाहन और वाहन की खरीद	650000
अन्य खर्चे	100000
कुल जोड़ :	**65,00,200**
जैसे कि :	**65,00,000**

अनुबंध–ध

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत किए गए अतिरिक्त पदों का विवरण

मुख्य शीर्ष : 2230-श्रम एवं रोजगार (प्लान)

चार पद सिविल सर्जन के 14300-18300 के वेतन मान में	1029600
चार पद उप अधीक्षक के 5450-8000 के वेतन मान में	392400
बारह पद सहायक के 5000-7850 के वेतन मान में	588600
चार पद कनिष्ठ आशुलेखक के 4000-6000 के वेतन मान में	288000
चार पद चालक के 4000-6000 के वेतन मान में	288000
बारह पद लिपिक के 3050-4590 के वेतन मान में	658800
सोलह पद सेवादार के 2550-3200 के वेतन मान में	734400
कुल 56 पद	
कुल :	**3979800**
मकान किराया भत्ता	235900
सी.सी.ए.	100000
एन.पी.ए.	120000
ई.एस.आई. भत्ता	9600
कुल :	**4445300**
महंगाई भत्ता 35% की दर से	1434900
फिक्सड् चिकित्सा भत्ता	120000
यात्रा भत्ता	60000
कार्यालय खर्चे	
1. आवृत्तक	400000
2. अनावृत्तक	1200000

अनुबंध–एक्स

नए सृजित कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरित होने वाली स्कीमें (नान प्लान)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	बजट विभाजन
1.	उप निदेशक ई.एस.आई. कार्यालय के अमले का संचालन-लगातार चालन हेतु	7962000
2.	200-बिस्तर वाले ई.एस.आई. हस्पताल एन.एच.-3 फरीदाबाद और उसके साथ संलग्न ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों का संचालन-लगातार चालन हेतु	65000000
3.	50-बिस्तर वाले ई.एस.आई. हस्पताल सैक्टर-8 फरीदाबाद और उसके साथ संलग्न ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों का संचालन-लगातार चालन हेतु	41000000
4.	80-बिस्तर वाले ई.एस.आई. हस्पताल जगाधरी और उसके साथ संलग्न ई.एस.आई.डिस्पैंसरियों का संचालन-लगातार चालन हेतु	27100000
5.	75-बिस्तर वाले ई.एस आई. हस्पताल पानीपत और उसके साथ संलग्न ई.एस.आई.डिस्पैंसरियों का संचालन-लगातार चालन हेतु	18200000
6.	50-बिस्तर वाले ई.एस.आई. हस्पताल भिवानी का संचालन-लगातार चालन हेतु	12000000
7.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी सोनीपत का संचालन-लगातार चालन हेतु	13020000
8.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी हिसार का संचालन-लगातार चालन हेतु	8940000
9.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी भिवानी का संचालन-लगातार चालन हेतु	7730000
10.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी पंचकूला का संचालन-लगातार चालन हेतु	1540000
11.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी पिंजौर का संचालन-लगातार चालन हेतु	2940000
12.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी घूलकोट का संचालन-लगातार चालन हेतु	2310000
13.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी अम्बाला शहर का संचालन-लगातार चालन हेतु	1650000
14.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी अम्बाला कैन्ट का संचालन-लगातार चालन हेतु	2500000
15.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी करनाल का संचालन-लगातार चालन हेतु	2520000
16.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी समालखा का संचालन-लगातार चालन हेतु	970000
17.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी कुण्डली का संचालन-लगातार चालन हेतु	2420000
18.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी मुरथल का संचालन-लगातार चालन हेतु	1580000
19.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी बहादुरगढ़ का संचालन-लगातार चालन हेतु	1390000
20.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी राई का संचालन-लगातार चालन हेतु	2330000
21.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी रोहतक का संचालन-लगातार चालन हेतु	2940000
22.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी बहादुरगढ़ का संचालन-लगातार चालन हेतु	6650000
23.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी जीन्द का संचालन-लगातार चालन हेतु	1200000
24.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी हांसी का संचालन-लगातार चालन हेतु	2180000
25.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी खैरपुर का संचालन-लगातार चालन हेतु	1150000
26.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी गुड़गांव का संचालन-लगातार चालन हेतु	11300000
27.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी रिवाड़ी का संचालन-लगातार चालन हेतु	1960000
28.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी धारूहेड़ा का संचालन-लगातार चालन हेतु	3050000
29.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी पलवल का संचालन-लगातार चालन हेतु	1600000
30.	दवाईयां इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रावधान-लगातार चालन हेतु	27000000
	कुल	282152000

अनुबंध–वाई

नए सृजित कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरित होने वाली स्कीमें (प्लान)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	बजट विभाजन
1.	बीमाकृत मरीजों को दवाईयां, खुराक और उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतु	145196000
2.	मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद और वर्तमान चिकित्सा उपकरणों की वार्षिक देख भाल	9424000
3.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी रोजका मेव का संचालन-लगातार चालन हेतु	960000
4.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी बावल का संचालन-लगातार चालन हेतु	960000
5.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी गढ़ी बोलनी चौक रिवाड़ी का संचालन-लगातार चालन हेतु	800000
6.	ई.एस.आई. हस्पताल भिवानी के बकाया अमले को बनाए रखना	800000
7.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी मानेसर का संचालन-लगातार चालन हेतु	1000000
8.	ई.एस.आई.डिस्पैंसरी सांपला का संचालन-लगातार चालन हेतु	1100000
9.	एम्बुलैंस सेवाओं को अमले सहित सुदृढ करना	3200000
10.	चलती फिरती डिस्पैंसरियां खोलना	800000
11.	बाहरी स्त्रोतों से लिए गए अमले के वेतन का प्रावधान	800000
12.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानक अनुसार विशेषज्ञों और उनके सहायक अमले का प्रावधान	2400000
13.	गुड़गांव में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी स्थापित करना	400000
14.	(96) बीमाकृतों के लिए रिवालविंग फण्ड -1/8 राज्य सरकार का हिस्सा	2600000
	कुल	170700000